छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा   एकादश सत्र   अंक-14

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017</u>

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 04, 05 से 08, 10, 13 एवं 16 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान माननीय सभापति ने माननीय मंत्री को निर्देशित किया कि विभाग ये सुनिश्चित करे कि प्रश्न, जिसकी जानकारी पूर्व में आना चाहिए, विभाग प्रश्नों में उसी दिन संशोधन देते हैं, यह उचित प्रक्रिया नहीं है। संशोधन भी छोटे-मोटे होना चाहिए। विभाग सुनिश्चित करे कि पूरी जानकारी उपलब्ध हो।

तारांकित प्रश्न संख्या 01, 03, 09, 11, 12 एवं 14 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री अरूण वोरा, विद्यारतन भसीन, संतराम नेताम श्रीमती केराबाई मनहर, सर्वश्री गिरवर जंघेल, उमेश पटेल अनुपस्थित रहे।

(तारांकित प्रश्न संख्या 15 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री देवजी भाई पटेल माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में सभापति तालिका के सदस्य होने के नाते आसंदी पर विराजमान)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित एवं 46 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में श्री अमित अजित जोगी, सदस्य ने तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं श्री सियाराम कौशिक, सदस्य ने भी सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का बावनवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 **पटल पर रखा।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य ने दंतेवाड़ा में पदस्थ सहायक संचालक द्वारा व्यापारियों को कोसाफल कम दाम में विक्रय किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य ने सरगुजा संभाग के धान उपार्जन केन्द्रों में सीमावर्ती प्रदेश से अवैध तरीके से धान लाकर विक्रय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए।)

5. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया ।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री दलेश्वर साहू
(2) श्री शिवरतन शर्मा
(3) श्री बघेल लखेश्वर
(4) श्री अमरजीत भगत

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य की याचिका पढ़ी हुई मानी गई।

8. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश में पैरा मेडिकल प्रेक्टिशनर का व्यवसाय बंद किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने कथन किया कि - आपने मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के संबंध में स्थगन की जो सूचना दी है, मैं इसको किसी न किसी रूप में सदन में चर्चा हेतु विचार करूंगा।

9. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

माननीय राजस्व मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री शिवरतन शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मोहन मरकाम, (डॉ.) खिलावन साहू, कवासी लखमा, श्यामबिहारी जायसवाल, अमरजीत भगत, संतोष उपाध्याय,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, केशव चन्द्रा, डॉ. प्रीतम राम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीचंद सुंदरानी, दीपक बैज, देवजी भाई पटेल,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 (चैत्र-1, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा